फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 19/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/23) **श्री रमेश डांगी बनाम जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.09.2024	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री श्रीराम शाकद्वीपी - वकील अपीलार्थी 2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी **अनवान** **1. श्री रमेश पिता बक्तु डांगी, निवासी भालोट, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।** **2. श्री शांतिलाल पिता खेमा डांगी, निवासी भालोट, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।** **3. श्री नारायण पिता बालु डांगी, निवासी भालोट, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।** **4. श्री रमेशचन्द्र पिता भेरूलाल जटिया, निवासी भालोट, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।** **5. श्री गणेश पिता रतन डांगी, निवासी भालोट, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।** **6. श्री शम्भु पिता बक्तु डांगी, निवासी भालोट, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।** **7. श्री भैरूलाल पिता मांगीलाल डांगी, निवासी भालोट, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।** **8. श्री नेमीचन्द पिता शिवलाल डांगी, निवासी भालोट, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।** **9. श्री सोराम पिता जयचन्द्र डांगी, निवासी भालोट, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।** **अपीलार्थी** **बनाम** **1. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़।** **2. अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रशासन, चित्तौड़गढ़।** **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के भूमि आरक्षित किये जाने के आदेश दिनांक 13.02.2002**	

<u>निर्णय</u>

दिनांक 27.09.2024

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के भूमि आरक्षित किये जाने के आदेश दिनांक 13.02.2002 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- प्रशासन गांव के संग अभियान-2001 के दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रशासन, चित्तौड़गढ़ प्रभारी अधिकारी पंचायत समिति भदेसर द्वारा ग्राम खोड़िप-भदेसर में कब्रिस्तान के लिए ग्राम खोड़िप की बिलानाम आराजी संख्या 101/17मी में से 2.00 बीघा भूमि आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव के साथ प्रेषित किया। प्रस्तावोनुसार ग्राम खोड़िप की बिलानाम आराजी संख्या 101/17 में से 2.00 बीघा भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा-92 तहत सार्वजनिक कब्रिस्तान हेतु आरक्षित-सेट अपार्ट किये जाने का आदेश क्रमांक राजस्व/सार्व.प्रयो./12-6(4)01/294 दिनांक 12.02.2022 को जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित किया गया। तुदपरांत संशोधित आदेश दिनांक 18.04.2022 पारित कर ग्राम खोडिप के स्थान पर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 19/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/23) **श्री रमेश डांगी बनाम जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

ग्राम भालोट अंकित किया गया।

उक्त आदेश दिनांक 13.02.2002 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष अपील दिनांक 22.03.2022 को मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी के प्रस्तुत की। उक्त प्रार्थना पत्रों पर आपत्ति आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 25.09.2024 को अधिवक्ता अपीलार्थी व प्रत्यर्थी उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, ग्रामवासियान से आपत्ति प्राप्त नहीं की गई। आवंटित भूमि कब्रिस्तान के लिये उपयोगी नहीं है क्योंकि उक्त भूमि आबादी से लगी हुई होकर पास की भूमि आराजी संख्या 249 में महादेवजी का मंदिर बना हुआ है, आराजी संख्या 250, 251 में सार्वजनिक नलकूप व ग्रामवासियान के लिए पानी पीने के लिए कुआ बना हुआ है। आराजी संख्या 253 में माताजी की चबुतरा बना हुआ है, जो ग्रामवासियान के लगभग हमेशा उपयोग में आते है। उक्त कब्रिस्तान होने से उक्त मंदिर, कुई व चबुतरे का उपयोग असंभव हो जावेगी। कब्रिस्तान के लिए गावं व आबादी से दुर एकान्त में और काफी जमीन खाली पड़ी है, जहां ग्रामवासियान को आवंटन हेतु कोई आपत्ति नहीं है। गांव में पूर्व से ही आराजी संख्या 244 एवं 248 कब्रिस्तान हेतु आवंटित है, फिर भी उक्त तथ्यों के परे जाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो परोक्ष पारित किये जाने से अपीलार्थीगण को उक्त आदेश की जानकारी ससमय न हो सकी। जिससे अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का संलग्न किया गया। उक्त आदेश से अपीलार्थीगण ग्रामवासियान के हक व अधिकार प्रभावित होने से अपील पेश करने हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का भी प्रस्तुत किया गया। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय पेरोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र दफा 96 जा.दी. का संलग्न किया, जिस पर यह न्यायालय प्रकरण का गुणावगुण पर विवेचन करने के साथ ही विनिश्चय किया जाना उचित समझता है।

प्रशासन गांव के संग अभियान-2001 के दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रशासन, चित्तौड़गढ़ प्रभारी अधिकारी पंचायत समिति भदेसर द्वारा ग्राम खोड़िप-भदेसर में कब्रिस्तान के लिए ग्राम खोड़िप की बिलानाम आराजी संख्या 101/17मी में से 2.00 बीघा भूमि आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव के साथ प्रेषित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 19/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/23) **श्री रमेश डांगी बनाम जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया। प्रस्तावोनुसार ग्राम खोड़िप की बिलानाम आराजी संख्या 101/17 में से 2.00 बीघा भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा-92 तहत सार्वजनिक कब्रिस्तान हेतु आरक्षित-सेट अपार्ट किये जाने का आदेश क्रमांक राजस्व/सार्व.प्रयो./12-6(4)01/294 दिनांक 12.02.2022 को जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित किया गया, तुदपरांत संशोधित आदेश दिनांक 18.04.2022 पारित कर ग्राम खोडिप के स्थान पर ग्राम भालोट अंकित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रश्नगत अपील प्रस्तुत की गई।

दौराने अपीलीय कार्यवाही एवं जरिये अपील मेमों, अधिवक्ता पक्षकारान द्वारा विभिन्न विरोधाभासी उज्र प्रस्तुत किये गये। उक्त उज्र एवं प्रकरण के तथ्यों में पारदर्शिता हेतु तहसीलदार, भदेसर से विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार, भदेसर द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 19.06.2024 में यह अंकित किया कि-

- उक्त आराजी में लगभग 0.04 है. भूमि पर शम्भूलाल, रमेश पिता वक्ता व नोजीबाई पिता हरलाल डांगी द्वारा पत्थर व कांटे की बाड़ से बाड़े बनाकर अतिक्रमण किया गया है।
- शेष भूमि मौके पर खाली पड़ी हुई है।
- उक्त आराजी के पश्चिम दिशा में नाला है, व पूर्व दिशा में 200 फीट की दूरी पर आ.न. 249 में शिव मंदिर बना हुआ है। शिव मंदिर के पास ग्रामवसियों के पानी पीने की कुई बनी हुई है।
- कब्रिस्तान से 50 फीट की दुर पर सार्वजनिक नलकूप खुदा है, व आ.न. 253 में माताजी का चबुतरा बना हुआ है, जो कब्रिस्तान की भूमि से 250 फीट की दूरी पर है।
- यह कि उक्त भूमि पर अल्पसंख्यक समुदाय को कब्रिस्तान हेतु सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित रखी गई है।

उक्त मौका रिपोर्ट में तहसीलदार, भदेसर द्वारा प्रस्तुत अपील पर अपनी टिप्पणी भी समाहित की गई है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम भालोट के खाता संख्या 1 में साबिक आराजी संख्या 101/71 मी. रकबा 2 बीघा हाल आराजी संख्या 546/255 रकबा 0.43 है किस्म कब्रिस्तान दर्ज है, जिसे अपीलाधीन आदेश से नियमानुसार सार्वजनिक कब्रिस्तान हेतु आरक्षित/सेट अपार्ट की गई। उक्त भूमि खाता संख्या 1 की होकर से राजकीय भूमि होना दर्शित है। अपीलार्थी का उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं है, न ही अपीलार्थी ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत कर पाया है जो यह प्रकट करता है कि वह आरक्षित भूमि का कभी खातेदार काश्तकार रहा हो। ऐसे में यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को अपील करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है, ऐसे अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दफा 96 जा.दी. स्वीकार्य योग्य नहीं है। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यदि यह मान भी लिया जावें कि अपीलार्थी उक्त भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज था फिर भी कब्जे के आधार पर किसी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होती है। न्यायिक दृष्टांत 1987 आर.आर.डी. पेज 54 (एल.बी.) में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि Land in possession of trespasser over govt. land is unoccupied land Govt. land available for allotment under Rules. राजस्व मण्डल ने आर. आर.डी. 1992 पेज 127, आर.आर.डी. 1994 पेज 381 एवं मण्डल द्वारा पारित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 19/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/23) **श्री रमेश डांगी बनाम जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अन्य निर्णयों में अतिक्रमी के कब्जे की भूमि को आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि माना है। अतिक्रमी का ऐसी भूमि पर विशेष हित उसी दशा में समझा जावेगा जबकि उसने ऐसी भूमि को अपने पक्ष में नियमन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हो, जो इस प्रकरण में नहीं पाया गया है। यदि अतिक्रमी द्वारा नियमन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तो अतिक्रमी को आवंटन/आरक्षण को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। इस सम्बन्ध में में अपीलार्थी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, ऐसे में यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को अपील करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है। उपरोक्त स्थिति होने उपरान्त भी यह न्यायालय गुणावगुण पर यह पाता है कि इस प्रकरण में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा-92 के प्रावधानों के अनुरूप विधि सम्मत कार्यवाही सम्पादित करते हुए जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा राजकीय बिलानाम भूमि को सार्वजनिक कब्रिस्तान हेतु सेट अपार्ट करने हेतु आदेश पारित किया गया है, जिसमें यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है।

उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी को यह अपील प्रस्तुत करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है, ऐसे में प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम पर विवेचन किया जाना औचित्य पूर्ण नहीं है यद्यपि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम में वर्णित कारण संतोषप्रद एवं पर्याप्त नहीं है।

अतः **उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है और जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है।** तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(सी.आर.देवासी)
R.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर